



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3224]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940

No. 3224]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

**का.आ. 4028(अ).**—केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2018 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 (जिसे इसमें पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के खण्ड 8, उप-खण्ड (1) में “आगामी 31 दिसम्बर तक” शब्दों, अंकों एवं अक्षरों के स्थान पर”, “नवीकरण किए जाने वाले वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में 31 दिसम्बर तक” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

3. उक्त आदेश में, खण्ड 18 में, “सौ रूपए और इसके नवीकरण के लिए पचास रूपए होंगे” शब्दों के स्थान पर “अथवा इसके बाद नवीकरण तीन हजार तीन सौ रूपए में होगा” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त आदेश में, प्ररूप ‘क’ के स्थान पर निम्नलिखित फार्म रखा जाएगा, अर्थात:-

**“प्ररूप क**  
**अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप**  
**(खण्ड 5 देखें)**

सेवा में;

अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकारी,  
चाय बोर्ड ।

**अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन**

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) (भागीदारी संबद्ध के मामले में सभी भागीदारों का नाम दिया जाना चाहिए)  
.....
2. पता .....
3. प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है – निर्यात, आयात, बिक्री, खरीद अथवा चाय अपशिष्ट का स्टॉक रखना  
.....
4. निर्यात, आयात, बिक्री, खरीद अथवा चाय अपशिष्ट का स्टॉक रखने का कारण .....
5. अगले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान खरीदने (आयात सहित), बेचे जाने, स्टॉक में रखने, निर्यात किए जाने या कैफीन अथवा इंस्टेट टी अथवा जैव पोषकों अथवा जैव उर्वरकों के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित चाय अपशिष्ट की मात्रा.....

चाय अपशिष्ट की मात्रा (किग्रा में)	वर्ष		
	2.....	2....	2....
खरीद, उद्भूत, आयातित			
बेची गई			
स्टॉक में रखी गई			
निर्यात की गई			
कैफीन अथवा इंस्टेट टी अथवा जैव – पोषक अथवा जैव उर्वरकों के लिए उपयोग की गई			

6. (क) यदि आवेदक एक विनिर्माता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. के साथ विनिर्माण इकाई का पता, जहां चाय का भण्डारण होना है, उपदर्शित किया जाना चाहिए ।  
(ख) यदि आवेदक भाण्डागार का स्वामी है तो, भाण्डागार इकाई का पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या, जहां भण्डारण, सफाई, सम्मिश्रण अथवा पैकिंग की जाती है, उपदर्शित किया जाना चाहिए ।
7. आवेदन की तारीख को स्टॉक में रखी चाय अपशिष्ट की मात्रा .....किग्रा ।

8. उस स्थान का ब्यौरा जहाँ चाय अपशिष्ट का भंडारण किया जाना प्रस्तावित है।

पता	क्या गोदाम अथवा भंडारण की जगह पर ताला लगेगा	क्या भण्डारण स्थल का उपयोग केवल चाय अपशिष्ट का भंडारण करने के लिए किया जाएगा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि यदि चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 के खण्ड 6 के उप खण्ड (2) में ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए मुझे/हमें अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापन दिया जाता है / दिए जाते हैं तो मैं/हम अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे।

**तारीख**

**आवेदक के हस्ताक्षर .....**

**स्पष्टीकरण टिप्पण :-** यह आवेदन व्यापार के स्वत्वधारी, अथवा फर्म के मामले में किसी एक प्राधिकृत भागीदार द्वारा; अथवा हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के कारबार के मामले में कुटुम्ब के कर्ता द्वारा; अथवा कंपनी के मामले में कारबार का प्रबंधन करने वाले निदेशक, प्रबंधन एजेंट अथवा मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।”

[फा. सं. टी – 12019/1/2016-बागान(क)]

संतोष कुमार सांरगी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड – 3, उप खंड (ii) में सा.का. नि. संख्या 354 तारीख 18.3.1959 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ति संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए -

- (1) सा. का. नि. 848, तारीख 22.6.1961;
- (2) सा. का. नि. 1746, तारीख 14.11.1962;
- (3) सा. का. नि. 235, तारीख 04.02.1964;
- (4) सा. का. नि. 457, तारीख 03.04.1975;
- (5) सा. का. नि. 507, तारीख 24.3.1979;
- (6) सा. का. नि. 1318, तारीख 03.11.1979;
- (7) सा. का. नि. 763(अ), तारीख 23.12.1998;
- (8) सा. का. नि. 629 (अ), तारीख 31.8.2001;
- (9) सा. का. नि. 167 (अ), तारीख 5.3.2002; और
- (10) का. आ. 3320 (अ), तारीख 25.10.2016।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### ORDER

New Delhi, the 20th August, 2018

**S.O. 4028(E).**—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea Waste (Control) Order, 1959, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) This Order may be called the Tea Waste (Control) Amendment Order, 2018.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Waste (Control) Order, 1959, (hereinafter referred to as the said Order), in clause 8, in sub-clause (1), for the words, figures and letters “up to the 31st December next following”, the words, figures and letters “upto the 31st December of the third year following the year in which it is renewed” shall be substituted.
3. In the said Order, in clause 18, for the words “shall be one Hundred Rupees and for its renewal Fifty Rupees”, the words “or renewal thereof shall be rupees three thousand three hundred” shall be substituted.
4. In the said Order, for Form A, the following Form shall be substituted, namely:-

**“FORM A**

**Form of application for licence**

(See clause 5)

To;

The Licensing Authority,

Tea Board.

**Application for Licence**

1. Name of the Applicant (in block letters) (in case of a partnership concern the names of all partners should be given) .....
2. Address : .....
3. Purpose for which licence is required -- Export, import, sale, purchase or holding in stock of tea waste .....
4. Reason for Export, import, sale, purchase or holding in stock of tea waste .....
5. Quantities of tea waste proposed to be purchased (including import), sold, held in stock, exported or utilised for manufacture of caffeine or instant tea or bio-nutrient or bio-fertilizer during next three calendar years .....

Quantity of Tea Waste (in kg.)	Year		
	2....	2.....	2....
Purchased/accrued/imported			
Sold			
Held in stock			
Exported			
Utilised for manufacture of caffeine or instant tea or bio-nutrient or bio-fertilizer			

6. (a) If the applicant is a manufacturer, the address of the manufacturing unit with Registration Certificate Number where tea is stored should be indicated.
- (b) If the applicant is warehouse owner, the address of the warehouse unit with Licence No. where storing, cleaning, blending or packaging is done should be indicated.
7. Quantity of Tea Waste held in stock on the date of application. \_\_\_\_\_ kilograms.

## 8. Details of the place at which tea waste is proposed to be stored.

Address	Whether the godown or place of storage will be kept under lock	Whether storage space will be utilised for storing tea waste only

I/We hereby declare that if a licence is/are granted to me/us by the Licensing Authority for the above mentioned purpose in terms of sub-clause (2) of clause 6 of the Tea Waste (Control) Order, 1959, I/We shall abide by the terms and conditions of the licence.

Date.....

Signature of the applicant.....

**Explanatory Note :** This application should be signed by the proprietor of the business, or in the case of a firm, by one of the authorised partners; or in the case of a business of a Hindu undivided family, by the Karta of the family; or in the case of a company, by the Director, Managing Agent or principal officer managing the business.”

[F. No. T-12019/1/2016-Plant(A)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

**Note :** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number G.S.R. 354, dated the 18th March, 1959 and subsequently amended *vide* following notifications -

- (1) G.S.R. 848, dated the 22nd June, 1961;
- (2) G.S.R. 1746, dated the 14th November, 1962;
- (3) G.S.R. 235, dated the 4th February, 1964;
- (4) G.S.R. 457, dated the 3rd April, 1975;
- (5) G.S.R. 507, dated the 24th March, 1979;
- (6) G.S.R. 1318, dated the 3rd November, 1979;
- (7) G.S.R. 763(E), dated the 23rd December, 1998;
- (8) G.S.R. 629(E), dated the 31st August, 2001;
- (9) G.S.R. 167(E), dated the 5th March, 2002; and
- (10) S.O. 3320(E), dated the 25th October, 2016.